वन सुरक्षा / पारिस्थितिकी विकास समितियों के आदर्श नमूना उप नियम

1. नाम पता एवं कार्य क्षेत्र :

1.1 इस समिति का ग्राम्य वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा/ पारिस्थितिकी विकास समिति .... होगा। जिसे आगे संदर्भों में .... समिति कहा जाएगा। इस समिति का पंजीकृत कार्यालय .... ग्राम .... तहसील ....जिला में होगा। पते में होने वाला कोई भी परिवर्तन 30 दिवस की अवधि में सम्बन्धित उप वन संरक्षक एवं अन्य सम्बन्धी कार्यालयों को सूचित कर दिया जाएगा।

1.2 इस समिति का कार्य क्षेत्र राजस्व ग्राम/ ढाणी / चक / फला .... की सीमाओं तक होगा। इस सीमा में पड़ने वाले वन क्षेत्र इसमें स्वतः सम्मिलित समझें जाएंगे।

2. **परिभाषाएं** : इन उपनियमों में जब तक कि संदर्भ पृथक से न हो :–

2.1 समिति से तात्पर्य ग्राम वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा / पारिस्थितिकी विकास समिति .... होगा।

2.2 ''वन अधिनियम'' से तात्पर्य राजस्थान वन अधिनियम 1953 तथा उसके अन्तर्गत बने नियम होगा।

2.3 ''वन संरक्षण अधिनियम'' से तात्पर्य वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 तथा ''वन्य जीव संरक्षण अधिनियम'' से तात्पर्य वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 तथा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बने नियम होगा।

2.4 ''नियम'' से तात्पर्य वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा समिति .... के समिति द्वारा अनुमोदित इन उप नियमों से होगा।

2.5 मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक का तात्पर्य उस समिति के कार्य क्षेत्र पर कार्यरत मण्डल वन अधिकारी / उप वन संरक्षक से होगा।

2.6 ''सदस्यों'' से तात्पर्य ग्राम्य वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा समिति .... के बनाए गए सदस्यों से है।

2.7 ''आम सभा'' में साधारण एवं विशेष आम सभा सम्मिलित है।

2.8 ''कार्यकारिणी'' से तात्पर्य राजस्थान सरकार के राज्यादेश एफ 7 (39)वन / 90 दिनांक 17.10.2000/ एफ 7 (23)वन / 90 दिनांक 26 अप्रेल 1991, एफ 11(4) वन /96 दिनांक 24 अक्टुबर, 2002 की अनुपालना में इन उप नियमों के अन्तर्गत गठित कार्यकारिणी से है।

2.9 ''अध्यक्ष'' से तात्पर्य इस वन प्रबन्ध एवं सुरक्षा समिति का अध्यक्ष है।

2.10 ''सचिव'' से तात्पर्य राज्यादेश दिनांक 17.10.2000 /26.4.1991/ 24.10.02 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त सदस्य सचिव से है।

2.11 राज्यादेश से तात्पर्य राजस्थान सरकार का राज्यादेश एफ 7 (39)वन / 90 दिनांक 17.10.2000/ एफ 7 (23)वन / 90 दिनांक 26 अप्रेल 1991, एफ 11(4) वन /96 दिनांक 24 अक्टुबर, 2002 से है।

2.12 जहां कहीं इन उप नियमों में ''वह'' और ''उसका'' शब्द है। इसमें स्त्रीलिंग में ''वह'' और ''उसकी'' स्वतः समाहित है।

2.13 ''ग्राम सभा''से तात्पर्य पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानाओं के अन्तर्गत आयोजित ग्राम सभा से है।

3. उद्देश्य :

3.1 समिति का उद्देश्य वन भूमि व अन्य राजकीय एवं सामुदायिक भू–खण्डों में वन संरक्षण एवं संवर्द्धन की प्रक्रिया में यथा नियोजन, सुरक्षा, पुनरुत्पादन, विकास के प्रत्येक स्तर पर ग्रामीणों को सम्मिलित करना है।

3.2 इस तरह साझा वन प्रबन्ध के पश्चात प्राप्त लाभों को समान रूप से सभी सदस्यों में वितरित करना।

3.3 समिति को ऐसी प्रजातांत्रिक सक्षम संस्था बनान जो पूर्ण स्वायत्त एवं स्वशासी होकर वन विकास के कार्य कर सकें एवं इस हेतु ऋण, अनुदान तथा अन्य प्रकार से वित्त की व्यवस्था कर सकें।

3.4 साझा वन प्रबन्ध की संकल्पना, प्रक्रिया एवं इसके क्रियान्वयन को लोकप्रिय बनाना।

3.5 उपर्युक्त सभी कार्यों के कुशल क्रियान्वयन के लिए सभी विधिक उपाय यथा वन या अन्य किसी विभाग या संस्था से समझौत करना तथा सभी ऐसे कार्य करना जो साझा वन प्रबन्ध हेतु प्रासंगिक व सम्बद्ध हों।

3.6 ऐसी समस्त गतिविधियां सम्पन्न करना जो साझा वन प्रबन्ध को प्रोत्साहित करें।

3.7 साझा वन प्रबन्ध के माध्यम से ग्रामीणों के सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय पारिस्थितिकी उन्नयन का ठोस प्रयास करना।

4. सदस्यता :

सामान्य सभा में निम्नलिखित व्यक्ति जो उस राजस्व ग्राम में, जिसके वनों के विकास के लिए, समिति गठित की गई है, सदस्य बनने के योग्य है :

4.1 उक्त ग्राम की सीमा में पड़ने वाले सभी परिवार जो ग्राम के स्थाई निवासी हों, के सभी वयस्क व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो किन्तु इसमें 33 प्रतिशत महिलाएं होंगी।

4.2 किसी सदस्य को जोड़ने अथवा हटाने का अधिकार समिति को होगा।

4.3 समिति के अपने सदस्यों की सूचना विभाग के सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी एवं उप वन संरक्षक को यथा समय प्रेषित करेगी।

4.4 राज्यादेश में वर्णित मानकों के अनुसार मनोनीत सभी सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी समिति के सदस्य होंगे।

4.5 क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संगठन .... के प्रतिनिधि।

4.6 उप वन संरक्षक द्वारा नियुक्त वन रक्षक / सहायक वनपाल / वनपाल (सचिव) जो सम्बन्धित वन क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वहां पर तैनात हों।

4.7 समिति के सभी सदस्यों का पंजीकरण समिति के सदस्यता रजिस्टर में किया जायेगा। इस रजिस्टर में सदस्य का आवश्यक विवरण पूर्ण रूप से दर्ज किया जायेगा।

4.8 समिति के सभी सदस्यों से .... रुपये शुल्क प्राथमिक सदस्यता शुल्क/ वार्षिक शुल्क / एक कालीन शुल्क (सदस्यता शुल्क) के रूप में लिया जायेगा। सरकारी, गैर सरकारी एवं संस्थागत सदस्य भी स्वेच्छा से सदस्यता शुल्क जमा करा सकते हैं।

5. सदस्यता समाप्ति :

5.1 किसी सदस्य द्वारा समिति के इन उप नियमों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने पर सदस्यता से वंचित किये जाने के कार्यकारिणी के निर्णय के उपरान्त समिति विचार कर उस व्यक्ति को सदस्यता से स्थाई या अस्थाई अवधि के लिए हटा सकेगी।

5.2 कोई भी सदस्य स्वतः समिति की सदस्यता से हटा हुआ माना जाएगा, यदि वह :—

5.2.1 समिति की सदस्यता से इस्तीफा दे दे।

5.2.2 किसी विधि विरुद्ध कार्य के लिए न्यायालय से दण्डित हुआ हो अथवा सजायाफ्ता हो तथा कार्यकारिणी द्वारा ऐसे कुकृत्य को समिति के हितों के विरुद्ध समझा जाए।

5.2.3 पागल हो जाए अथवा सामान्य समझ विचार न रखें।

5.2.4 .... वन अपराधों की क्रमिक पुनरावृत्ति पर।

6. सामान्य सभा :

6.1 समिति के सभी सदस्यों को मिलाकर सामान्य सभा कही जाएगी।

6.2 सामान्य सभा की वर्ष में दो बैठकें अनिवार्यतः होगी, इस बैठक हेतु गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों की कुल संख्या का 40 प्रतिशत होगी। इस 40 प्रतिशत में 33 प्रतिशत महिलाओं का होना अनिवार्य होगा।

6.3 एक तिहाई सदस्यों की मांग पर समिति की बैठक आयोजित करने के लिए अध्यक्ष एवं सचिव अधिकृत होंगे।

6.4 प्रत्येक सदस्य को सामान्य सभा की बैठक की सूचना बैठक की तिथि से .... दिवस पूर्व दी जाएगी।

6.5 सामान्य सभा में समिति के केवल ग्रामवासी सदस्यों को वोट देने का अधिकार होगा। किसी सदस्य की अनुपस्थिति में उसका वोट नहीं दिया जा सकेगा।

6.6 यद्यपि सामान्य सभा में विचारार्थ लाये गये सभी मामले आम सहमति से सुलझाए जाऐंगे, किन्तु आवश्यकता होने पर लोकतांत्रिक पद्धति से गोपनीय रूप से वोट डालकर या हाथ खड़े कर निर्णय लिए जाएंगे।

7. **ग्राम सभा / आम सभा / वार्ड सभा :**

पंचायत एक्ट के तहत बुलाई जाकर निम्न निर्णय किये जावेंगे :

7.1 ग्रामीण वन सम्पदा के सुरक्षा एवं विकास हेतु प्रतिबद्धता

7.2 ग्राम्य वन सुरक्षा एवं प्रबन्ध समिति का गठन

7.3 कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव

7.4 समिति द्वारा बनाये गये उप नियमों का अनुमोदन

7.5 ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन का अनुमोदन

7.6 पारिस्थितिकी विकास गतिविधियों का निर्धारण एवं अनुमोदन

8. **सामान्य सभा / ग्राम सभा का कार्य संव्यवहार :**

सामान्य सभा अपनी बैठकों में निम्न कार्य करेगी ।

8.1 कार्यकारिणी द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखों का अनुमोदन

8.2 विभाग के सहयोग से बनी सूक्ष्य नियोजन एवं प्रबन्ध योजना का अनुमोदन

8.3 समिति के सदस्यों में वन उपज के वितरण के सम्बन्ध में नियम अथवा शुल्क के आरोपण पर विचार।

8.4 समिति के किसी सदस्य द्वारा गैर विधिक कार्य करने पर उसकी सदस्यता के निलम्बन एवं समाप्ति का अनुमोदन।

8.5 अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रबन्ध व्यवस्था जो समिति द्वारा की जानी है उसका अनुमोदन करना।

8.6 अन्य कोई मामला जो सामान्य सभा के विचारार्थ लाया जाए।

9. कार्यकारिणी :

समिति के दिन प्रतिदिन के कार्यों के सम्पादन के लिए समिति की समस्त शक्तियां कार्यकारिणी में निहित होंगी, ऐसी कार्यकारिणी इन उपनियमों के अन्तर्गत कार्य करेगी। कार्यकारिणी का गठन इस प्रकार होगा :

9.1 कार्यकारिणी के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 11 होगी, जिनका चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा :

9.1.1 इन निर्वाचित ग्यारह सदस्यों में से
1 सदस्य अनुसूचित जाति से तथा 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से यदि दोनों वर्गों की जनसंख्या 10–10 प्रतिशत से अधिक हो। दोनों की कुल संख्या 15 प्रतिशत से अधिक होने पर एक सदस्य।
1 सदस्य भूमिहीन एवं कम से कम तीन महिला सदस्य अनिवार्य होंगे।

9.1.2 कार्यकारिणी का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष का चयन इन्हीं सदस्यों में से होगा, जिनमें कम से कम एक पद पर महिला का निर्वाचन होगा।

9.2 उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्न व्यक्ति भी कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे :

9.2.1 सम्बन्धित ग्राम पंचायत के उक्त ग्राम से सम्बन्धित सरपंच / पंच

9.2.2 क्षेत्र से सम्बन्धित वन विभाग का प्रतिनिधि, जो सदस्य सचिव भी होगा। यदि समिति अपने में से किसी सदस्य को सदस्य सचिव बना लेती है तो भी यह प्रतिनिधि समिति का सदस्य रहेगा।

9.2.3 कार्यकारिणी के चाहने पर उस क्षेत्र में कार्यरत किसी स्वयंसेवी संस्था का प्रतिनिधि।

9.2.4 इस पैरे में वर्णित सदस्यों को (सरपंच/ पंच के अतिरिक्त) मताधिकार नहीं होगा।

9.3 महिला उप सलाहकार समिति की अध्यक्ष, जिसे मताधिकार होगा।

9.4 कार्यकारिणी के चुनाव हेतु क्षेत्रीय वन अधिकारी .... निर्वाचन अधिकारी होंगे।

10. कार्यकारिणी के संव्यवहार

10.1 इस कार्यकारिणी का कार्यकाल 1/2/3/4/5 वर्ष का होगा।

10.2 कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 4/5/6 बैठकें होगी, किन्तु आवश्यक होने पर अधिक बैठकें भी बुलाई जा सकेंगी।

10.3 कार्यकारिणी की बैठक में गणपूर्ति हेतु 6 निर्वाचित सदस्यों जिनमें कम से कम एक महिला हो, अनिवार्य होगा।

10.4 कार्यकारिणी क्षेत्र की सूक्ष्म नियोजन एवं प्रबन्ध योजना को उप वन संरक्षक के पास भेजने से पूर्व परीक्षण करेगी तथा इसे यदि आवश्यक हो, तो संशोधन कर सामान्य सभा में अनुमोदित करायेगी।

10.5 वित्तीय लेखों का लेखांकन व लेखा परीक्षण सुनिश्चित करेगी और लेखा प्रतिवेदन को सामान्य सभा से अनुमोदित करायेगी। इसकी एक प्रति सम्बन्धित वनाधिकारी को भी भेजेगी।

10.6 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान द्वारा समय–समय पर निर्धारित कार्यों को करेगी।

10.7 अपने सदस्यों के मध्य होने वाले किसी विवाद का निपटारा स्वयं अथवा विभाग अथवा स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से करेगी।

10.8 सदस्यों के हितार्थ एवं कल्याण हेतु आवश्यक अन्य मामलों का निस्तारण।

11\. कार्यकारिणी के सदस्यों की पदच्युति :

11.1 यदि कोई सदस्य लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे, किन्तु ऐसी सदस्य को सुनवाई का यथोचित अवसर देने के बाद, तथा

11.2 कार्यकारिणी का कोई सदस्य गम्भीर वन अपराध करते हुए पकड़ा गया हो तो ऐसे सदस्य की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

11.3 .... ।

12\. कार्यकारिणी समिति को भंग करना :

12.1 यदि कार्यकारिणी समिति अपने दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ रही हो।

12.2 कोई वित्तीय अनियमितता हो अथवा धन का दुरूपयोग हुआ हो।

12.3 समिति द्वारा निर्धारित उप नियमों का उल्लंघन करे अथवा राज्यादेश / अनुबन्ध के अनुरूप कार्य न करे।

12.4 उपर्युक्त परिस्थितियों में क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा समिति को दो नोटिस दिए जाने के पश्चात भी अपेक्षित सुधार न हो, तो उप वन संरक्षक कार्यकारिणी / समिति को भंग कर देंगे।

12.5 ऐसी भंग कार्यकारिणी का प्रभार उप वन संरक्षक अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वहन करेंगे।

12.6 भंग कार्यकारिणी वन संरक्षक को भंग किए जाने के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगी किन्तु वन संरक्षक का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

13\. कार्यकारिणी की शक्तियां

13.1 वह भूमि जो समिति को सुरक्षा अथवा विकास के लिए सौंपी गई है, के विकास हेतु सदस्यों से वार्ता कर तकनीकी आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य करेगी ताकि सदस्यों की वन उपज की मांग पूरी क जा सके।

13.2 इस भूमि में उत्पादित लघु वन उपज जैसे घास, पत्ते, फल, फूल, छोटी टहनियों आदि के एकत्रीकरण, वितरण तथा विक्रय की प्रक्रिया, नियम एवं शुल्क निर्धारित कर सकेगी।

13.3 वन क्षेत्रों एवं वृक्षारोपण क्षेत्रों तथा वन्यजीवों की सुरक्षा सम्बन्धित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप करेगी।

13.4 क्षेत्र की अतिक्रमण, चराई, छंगाई, चोरी अवैध खनन एवं अवैध निकासी एवं अन्य की रोकथाम की व्यवस्था करेगी।

13.5 वनों को किसी तरह का नुकसान करने वाले अपराधियों को पकड़कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी। ''ऐसी कार्यवाही में अर्थ दण्ड सम्मिलित है'' अथ्वा सम्बन्धित वन अधिकारी को सौंपेगी।

13.6 पशुओं की चराई एवं पेयजल के लिए उचित व्यवस्था करेगी।

13.7 समिति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक वित्त की व्यवस्था करेगी तथा प्राक्कलन बनाएगी।

13.8 कुशल कार्यकरण हेतु आवश्यक सामान व सम्पत्ति की खरीद कर सकेगी।

13.9 व्यय हेतु आवश्यक वित्त के लिए विभाग अथवा अन्य संस्था से व्यवस्था कर सकेगी।

13.10 समिति के उद्‌देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से ऋण, अनुदान अथवा उपहार प्राप्त कर सकेगी।

13.11 समिति के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित कोष की स्थापना कर, उसका बैंक अकाउंट खोलकर, अकाउंट का संधारण करेगी तथा आवश्यक लेखे तैयार करेगी।

13.12 किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से समिति के हित में आवश्यक समझौता कर सकेगी।

13.13 क्षेत्र की सुरक्षा परामर्श अथवा अन्य कार्यों हेतु किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी तथा इस हेतु उसे उचित मानदेय अथवा पारिश्रमिक दे सकेगी।

13.14 ऐसे न्यायिक वाद जिनमें समिति एक पक्षकार हो, समिति का प्रतिनिधित्व करेगी।

13.15 समिति के उद्‌देश्यों की पूर्ति के लिए निर्धारित तथा सृजित उप नियमों में आवश्यक संशोधन कर सकेगी, किन्तु इसका अनुमोदन आगामी सामान्य सभा में कराया जाना अनिवार्य होगा।

14. पदाधिकारियों की शक्तियां एवं कर्त्तव्य :

14.1 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष

14.1.1 अध्यक्ष साधारण एवं कार्यकारिणी की बैठकों की अध्यक्षता करेंगे।

14.1.2 समिति की ओर से सभी दस्तावेजो, इकरारनामों व अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे।

14.1.3 समिति के प्रतिनिधि के रूप में अन्य विभागों, स्वैच्छिक संस्थानों आदि से सम्पर्क कर सकेंगे।

14.1.4 अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपर्युक्त शक्तियों का उपयोग एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन उपाध्यक्ष करेंगे।

14.2 सचिव

14.2.1 प्रत्येक वर्ष में सामान्य सभा की कम से कम 2 व कार्यकारिणी की कम से कम 4 बैठकें बुलाएंगे।

14.2.2 इन बैठकों की कार्यवाही को संधारित करेंग तथा कार्यवाही को सामान्य सभा से अनुमोदित कराएंगे।

14.2.3 समिति का सामान्य पत्र व्यवहार देखेंगे।

14.2.4 समिति को सूक्ष्म नियोजन बनाने एवं अन्य विभागों से समन्वय करने में सहायता उपलब्ध कराएंगे।

14.2.5 महिला उप समिति की बैठक का आयोजन तथा इस उप समिति द्वारा पारित प्रस्तावों को कार्यकारिणी में विचारार्थ प्रस्तुत करेंगे।

14.2.6 अन्य कोई कार्य जो विभाग द्वारा सौंपा जाये उसे सम्पन्न करेंगे।

14.3 कोषाध्यक्ष

14.3.1 समिति के लेखों का संधारण करेंगे तथा साधारण सभा में लेखों को प्रस्तुत करेंगे।

14.3.2 समिति की राशि को बैंक में जमा कर कार्यकारिणी के निर्णयानुसार व्यय करेंगे।

14.3.3 इस खाते का संधारण राज्यादेश के अनुरूप करेंगे।

15. अन्य सम्बद्ध पक्षों के कार्य एवं शक्तियां

15.1 ग्राम से सम्बन्धित पंच अथवा सरपंच, समिति एवं ग्राम पंचायत के मध्य समन्वय का कार्य करेंगे।

15.2 क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्थान वन विभाग व समिति के मध्य समन्वय करेगी, योजनाओं की तैयारी में सहयोग, विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभायेंगे तथा सरकारी नीति नियमों की जानकारी आम जनता को देंगे। ऐसे संगठन ग्रामीणों की कठिनाईयों की जानकारी भी वन विभाग को देंगे।

16. महिला उप समिति

ग्राम वन एवं प्रबन्ध समिति में एक पृथक महिला उप समिति का गठन होगा, यह उप समिति :

16.1 ग्राम की कम से कम 7 महिलाओं से गठित होगी।

16.2 इस उप समिति की अध्यक्ष इन्हीं में से मनोनीत होगी।

16.3 महिलाओं की समस्याओं पर विचार करेगी तथा कार्यकारिणी एवं सामान्य सभा के विचारार्थ प्रस्ताव पारित करेगी।

16.4 उप समिति की बैठक बुलाने व उसकी समस्त कार्यवाही के संधारण का दायित्व सदस्य सचिव का होगा।

17. सूक्ष्म नियोजना एवं प्रबन्ध योजना

यह एक ऐसा दस्तावेज होगा, जो क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीणों, कमजोर वर्गों, महिलाओं से विचार–विमर्श कर साझा वन प्रबन्ध वृत्त के दिशा–निर्देशों के अनुरूप बनाया जाएगा। समिति इसी प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत कार्य करेगी, इस दस्तावेज में :

17.1 ठोस वन संवर्धन विधि

17.2 जल एवं मृदा संरक्षण विधि।

17.3 जैव विविधता संरक्षण के उपाय

17.4 विभिन्न वन उपजों के विभाजन एवं आय के उपयोग, तथा

17.5 अनुबन्ध सम्मिलित होंगे।

18. अनुरक्षण कोष (Maintenance Fund)

समिति के अधीन एक अनुरक्षण कोष की स्थापना की जायेगी।

18.1 यह कोष समिति के सदस्यों / ग्रामीणों / श्रमिकों के पारिश्रमिक से कुछ राशि अंशदान के रूप में प्राप्त कर सृजित किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जावे कि अंशदान प्रत्येक सदस्य से अनिवार्य रूप से लिया जावे।

18.2 इस स्वैच्छिक अंशदान का निर्णय ग्राम सभा की बैठक में किया जायेगा।

18.3 यह कोष परियोजना की कुल अवधि तक फिक्स्ड डिपोजिट राशि के रूप में रखा जावेगा।

18.4 इस कोष से परियोजना काल में सृजित सम्पत्तियों के परियोजना समाप्त होने के पश्चात नियमित रखरखाव किया जायेगा।

19. लाभ का वितरण :

राज्यादेशों के अनुरूप समिति वन क्षेत्र अथवा स्वयं द्वारा प्रबन्धित क्षेत्र से प्राप्त आय का विभाजन इस प्रकार करेगी :

19.1 लघु वन उपज

19.1.1 विभाग से हुए अनुबन्ध के अनुरूप प्राप्त समस्त लघु वन उपज सदस्यों में वितरित करेगी।

19.1.2 विभाग द्वारा कल्चरल ऑपरेशन पर हुए व्यय को चुकाएगी।

19.1.3 तकनीकी रूप से छंगाई के लिए तैयार क्षेत्र में छंगाई अथवा पशु चराई की अनुमति शुल्क लेकर अथवा निःशुल्क देगी।

19.2 अन्तिम विदोहन के समय लाभ का बंटवारा :

19.2.1 राज्यादेश में वर्णित परिस्थितियों के अनुरूप समिति अपना हिस्सा प्राप्त करेगी तथा राज्यादेशों के अनुरूप व्यय करेगी।

19.2.2 समिति अन्तिम विदोहन से प्राप्त आय एवं उपज का सदस्यों में समान वितरण सुनिश्चित करेगी।

20. अनुबन्ध :

समिति द्वारा विभाग के सहयोग से तथा ग्रामीणों के परामर्श एवं अनुमोदन से तैयार सूक्ष्य नियोजन एवं प्रबन्ध योजना के अन्तर्गत कार्य करने हेतु विभाग के उप वन संरक्षक से एक अनुबन्ध करेगी, जिस पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होंगे। यह अनुबन्ध भविष्य की सभी वानिकी गतिविधियों का मूलाधार तथा अनुमति पत्र भी होगा।

21. अनुबन्ध के अनुरूप कार्य न करने पर

यदि समिति राज्य वन विभाग से हुए अनुबन्ध के अनुरूप कार्यवाही नहीं करेगी अथवा राज्यादेशों की सामान्य शर्तों एवं विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन करेगी तो उप वन संरक्षक को अधिकार होगा कि वह इस समिति को भंग कर सके।

22. संशोधन

राज्यादेशों के अनुरूप बनाए गए इन उप नियमों में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता हो अथवा नए नियम बनाने हों अथवा किसी उप नियम को समाप्त करना हो तो कार्यकारिणी की अनुशंषा पर सामान्य सभा में कुल सदस्यों के .... बहुमत से परिवर्तन किया जा सकेगा।